



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2016/फाल्गुन 12, 1937

No. 556]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2016/ PHALGUNA 12, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2016

का.आ. 645(अ).—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के उप-खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 4 के उप-नियम (3),(4),(5), नियम 5,7,10 और 12 के तहत कोयला नियंत्रक की शक्तियां, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खानों अथवा ब्लॉकों को छोड़कर सभी कोयला खानों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार अथवा इसके द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

[फा. सं. 11033/1/2015-सीए-II]

आर.पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2016

S.O. 645(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (3) of section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulations) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby directs that the powers of the Coal Controller under sub-rule (3), (4), (5) of rule 4, rules 5, 7, 10 and 12 of the Colliery Control Rules, 2004, shall be exercised by the respective State Governments or such officer as authorised by it through notification in respect of all coal mines except the mines or blocks of Central Government Public Sector Undertakings.

[F. No.11033/1/2015-CA-II]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.